


858  
26/10/21



15

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1 अम्बेडकर भवन राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र जयपुर

क्रमांक:-एफ 3 (2) ( ) बजट/मुख्य/ सान्याअवि /2020-21 / 7946 जयपुर, दिनांक: 26/10/2021  
समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक,  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,  
राजस्थान।

विषय:- बैंक खातों की विस्तृत सूचना भिजवाने बाबत।

प्रसंग:- वित्त (मार्गोपाय) विभाग के पत्र क्रमांक प.15(5) वि.मा./2012/पार्ट जयपुर  
दिनांक 18.10.2021 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि वित्त विभाग द्वारा राजकीय विभागों में बैंकों में पूर्व में खोले गये बैंक खातों की विस्तृत सूचना सलंगन प्रारूप परिशिष्ट-स में चाही गयी है। अतः आपके कार्यालय एवं जिले में स्थित समस्त अधीनस्थ कार्यालयों की बैंक खातों से सम्बंधित ईकजाई सूचना निर्धारित प्रारूप में दिनांक 27.10.2021 तक अति-आवश्यक रूप से ई-मेल द्वारा प्रेषित करावे।

इसे उच्च प्राथमिकता प्रदान करे।

सलंगन:-उपरोक्तानुसार।

(ओ.पी.बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ 3 (2) ( ) बजट/मुख्य/ सान्याअवि /2020-21 / 7947-5 जयपुर, दिनांक: 26/10/2021  
प्रतिलिपि समस्त योजना प्रभारियों को प्रेषित कर लेख है कि योजनान्तर्गत खुलवाये गये बैंक खातों की सलंगन प्रारूपानुसार सूचना दि 27.10.2021 तक उपलब्ध करावे।

1. अतिरिक्त निदेशक-(सर्तकता एवं प्रशासन)
2. अतिरिक्त/सपनिदेशक, पिछड़ीजाति/अत्याचार निवारण/राईस/सामाजिक सुरक्षा/छात्रवृत्ति/छात्रावास/एस.सी.एस.पी./देवनारायण/ योजना।
3. संयुक्त निदेशक(आई टी) को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

कार्यालय शासन सचिव

(सामाजिक न्याय एवं अतिरिक्त विभाग)

एफ.ओ. नं. 5793

दिनांक 20-10-21

DSJE, CA, ECA, MDSJC (राजस्थान सरकार वित्त (मार्गोपाय) विभाग)

विषय :- बैंक खातों की विस्तृत सूचना भिजवाने बाबत।

(Dr. Samit Sharma) Secretary S.J.E.D संदर्भ :- समसंख्यक आदेश दिनांक 04.10.2021

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.10.2021 के द्वारा राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा राजकीय कंपनियों के बैंकों में निधियों की जमा व निवेश सम्बन्धी पूर्व में जारी समसंख्यक स्पष्टीकरण आदेश दिनांक 16.10.2020 के विषयक के अधिक्रमण (Supersession) में बैंक खाता खोलने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये थे।

इस क्रम में राजकीय विभागों, स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा राजकीय कंपनियों के बैंकों में पूर्व में खोले गये बैंक खातों की विस्तृत सूचना उक्त आदेश दिनांक 04.10.2021 के परिशिष्ट- "स" पर संलग्न प्रारूप में दिनांक 30.10.2021 से पूर्व वित्त (मार्गोपाय) विभाग को Email Id dswn @ rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराने हेतु लिखा था। अभी तक सूचना अप्राप्त है।

अतः इस क्रम में अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ विभाग/विभागों/संस्थाओं के वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठतम लेखाधिकारी को परिशिष्ट 'स' प्रारूप में सूचना संलग्न सारणी अनुसार निर्धारित दिनांक/समय पर व्यक्तिशः अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कराने का श्रम करावें।

(सिद्धार्थ महाजन)

शासन सचिव, वित्त (बजट)

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।

संबंधित विभाग

क्रमांक प.15(5)वि.मा./2012/पार्ट

जयपुर, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021

c:/chaitan F15(5)

कमरा नं. 5136, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर - 302005

दूरभाष नं. 0141-5153225 आई पी नं - 4468, फैक्स नं. 0141 - 2227468

website : www.finance.rajasthan.gov.in, e-mail : dswn@rajasthan.gov.in

AAOCB

22/10/2021 1135 TFA  
22/10/2021



35	Planning	28.10.2021	4:00 to 4:15 PM
36	Printing and Stationery	28.10.2021	4:15 to 4:30 PM
37	Public Health Engineering	28.10.2021	4:30 to 4:45 PM
38	Public Works	28.10.2021	4:45 to 5:00 PM
39	Revenue	28.10.2021	5:00 to 5:15 PM
40	Rural Development	28.10.2021	5:00 to 5:30 PM
41	Sainik Kalyan	29.10.2021	3:00 to 3:15 PM
42	Science and Technology	29.10.2021	3:15 to 3:30 PM
<del>43</del>	Social Justice and Empowerment	29.10.2021	3:30 to 3:45 PM
44	Sports and Youth Affairs	29.10.2021	3:45 to 4:00 PM
45	State Enterprises	29.10.2021	4:00 to 4:15 PM
46	Tourism	29.10.2021	4:15 to 4:30 PM
47	Transport	29.10.2021	4:30 to 4:45 PM
48	Tribal Area Development	29.10.2021	4:45 to 5:00 PM
49	Urban Development and Housing	29.10.2021	5:00 to 5:15 PM
50	Water Resources (Irrigation/IGNP)	29.10.2021	5:00 to 5:30 PM
51	Women Child Development	29.10.2021	5:30 to 5:45 PM
52	Director, Treasury & Accounts (DTA)	29.10.2021	5:45 to 6:00 PM






प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदेश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-


1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त निजी सचिव, मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण/अन्य मंत्रीगण।
6. शासन सचिवालय के समस्त नियम अनुगता, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर, राजस्थान।
8. समस्त संबंधित संस्थायें, राजस्थान।
9. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, राजस्थान।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोकसेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

  
(वृजेश किशोर शर्मा)  
निदेशक, वित्त (बजट)

12	Jammu & Kashmir Bank Ltd.
13	Karnataka Bank Ltd.
14	Karur Vysya Bank Ltd.
15	Kotak Mahindra Bank Ltd
16	Lakshmi Vilas Bank Ltd.
17	Nainital bank Ltd.
18	RBL Bank Ltd.
19	South Indian Bank Ltd.
20	Tamilnadu Mercantile Bank Ltd.
21	YES Bank Ltd.
22	IDBI Bank Limited
<b>III</b>	<b>Small Finance Banks (SFB)</b>
1	Au Small Finance Bank Ltd.
2	Capital Small Finance Bank Ltd
3	Fincare Small Finance Bank Ltd.
4	Equitas Small Finance Bank Ltd
5	ESAF Small Finance Bank Ltd.
6	Suryoday Small Finance Bank Ltd.
7	Ujjivan Small Finance Bank Ltd.
8	Utkarsh Small Finance Bank Ltd.
9	North East Small finance Bank Ltd
10	Jana Small Finance Bank Ltd
11	Shivalik Small Finance Bank Ltd

  
 (सिद्धार्थ महाजन)  
 शासन सचिव  
 वित्त (बजट) विभाग



विभिन्न विभागों, संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों द्वारा पूर्व में खोले गये बैंक खातों की सूचना हेतु प्रारूप

क्र. स.	विभाग का नाम	विभाग में संचालित कुल बैंक खातों की संख्या	योजना का नाम	बैंक का नाम मय शाखा	IFSC CODE	खाता क्रमांक	30.09.2021 को खाते में उपलब्ध राशि	बैंक में जमा राशि के उद्देश्य संक्षिप्त विवरण सहित
1	2	3	4	5	6	7	8	9

नोट:-

- (i) यह सूचना में योजनाओं (केन्द्र प्रवर्तित/राज्य प्रवर्तित), अन्य उपयोग हेतु जैसे वेतन व अन्य भुगतानों हेतु, भविष्य निधियों के फण्डस तथा अधिशेष फण्डस की सावधि जमा (fixed deposits) व स्वयं की अर्जित आय की राशियों को बैंक खातों में रखे जाने की सूचना पृथक-पृथक बैंक खातेवार उपलब्ध कराई जावेगी।
- (ii) सभी प्रशासनिक विभागों द्वारा अपनी अधीनस्थ समस्त संस्थाओं की सूचना एकत्र कर वित्त विभाग को उपलब्ध करवायेंगे।